

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमार्यूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून:दिनांक: २० अप्रैल, 2020

विषय-

वाणिज्यिक व निजी प्रतिष्ठिनों के वाहनों को आवागमन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-296/XVIII-B-1/2020-15(6)/2020 दिनांक 15 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा तालाबन्दी की अवधि (दिनांक 03 मई, 2020 तक) के लिये कोरोना वायरस के संक्रमण के सन्दर्भ में भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने का अनुरोध किया गया था।


उक्त के सन्दर्भ में अवगत करवाना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-40-3/2020- (A) दिनांक 19 अप्रैल, 2020 के द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देश के बन्ध-14 उपबन्ध-(v) के अन्तर्गत ई-कामर्स कम्पनियों व उनके वाहनों को निम्नवत् दी गयी छूट को निरस्त कर दिया गया है:

"Sub clause (v) under clause 14 on commercial and private establishments

v. E-commerce companies vehicles used by e-commerce operators will be allowed to
ply with necessary permissions.

कृपया अवगत होना चाहें कि उपरोक्त बन्ध 14 (v) के विलोपन के पश्चात भी भारत सरकार के उपरोक्त आदेश के बन्ध 13 (i) के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दी गयी छूट पूर्ववत् जारी रहेगी।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



भवदीप,
(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित पत्रावली।



(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव